सं0:-130/2015/8394-1/62-2-2015-2/4(58)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 अक्टूबर,2015

विषय:- लघु सिंचाई विभाग के चेकडैमों के निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-301/ल0सिं0/कार्य-6/क्रय-प्रक्रिया/2015-16, दिनांक 24.09.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है तात्कालिक प्रभाव से दस लाख या उससे ऊपर के समस्त निर्माण कार्यो, आपूर्ति व सभी प्रकार के क्रय हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त निर्णय का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-130/2015/8394-1(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बक्शी का तालब, लखनऊ।
2- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, उ0 प्र0 ।
3- समस्त अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, उ0 प्र0 ।
4- परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन।
5- समस्त सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, उ0 प्र0 ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in